कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,बीकानेर

दिनॉक- 29.01.2002

क्रमॉक-एफ-10(1)बीएडीपी-2/2001-02/ 1066-71

सरपंच

ग्राम पचांयत कोलायत

पचांयत समिति कोलायत।

विषय:-सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अनुमोदित योजना वर्ष 2001-02 मे स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करवाने बाबत।

प्रसंग:-परियोजना निदेशक(ग्रारो)ग्राविवि/जयपुर का पंत्राक एफ 9(1)ग्रावि/ग्रारो/बीएडीपी/2001 दिनांक 02.1.2002

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अनुमोदित योजना वर्ष **2001-02** के निम्न कार्य पर कार्यकारी एजेन्सी की सशोधित स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना मे स्वीकृत निम्न कार्य पर आपको ग्राम पंचायत को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त कर कार्य को निम्न शर्तो के साथ निर्माण करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	स्वीकृत राशि (लाखो में)
		10.00
1	स्टेडियम निर्माण कोलायत	

1. कार्य का तखमीना एवं तकनीकी स्वीकृति सार्व.निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर अभिकरण को उपलब्ध करवायें तथा कार्य का नक्शा सार्व.निर्माण विभाग से अनुमोदन करवाया जावे एवं कार्य तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही कार्य प्रारसभ किया जावें।
2. कार्य पर भुगतान अभिकरण के माध्यम से देय होगा.कार्य बी ए डी पी/ ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2000 के निर्देश के अनुरूप ही करवाना होगा।
3. कार्य निर्धारित अवधि 31.3.2002 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जाना है।
4. यदि कार्य के निष्पादन से अप्रत्यासित विलम्ब होने से कार्य की लागम मे किसी प्रकार की वृद्धि होती है,तो ऐसी वृद्धि के लिये कार्यकारी संस्था स्वंय उत्तरदायी होगी।
5. अन्तिम भुगतान के समय निर्माण कार्य तथा कार्य पर लगे सूचना पट्ट का रंगीन फोटो पोस्ट कार्य साईज जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो को पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. कार्य निर्माण के पश्चात परिसम्पति का रखरखाव सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। इसके लिये सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना से काई राशि देय नही होगी।

अतिरिक्त कलक्टर(विकास)

दिनॉक- 29.01.2002

क्रमॉक-एफ-10(1)बीएडीपी/2001-02/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशाषी अभियन्ता.सार्व.निर्माण विभाग.जिला खण्ड बीकानेर।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत।
3. लेखाधिकारी / सहायक अभियन्ता कार्यालय हाजा।
4. कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति कोलायत।

अतिरिक्त कलक्टर(विकास)